<u>प्रेस नोट –</u>

<u>थाना मोठ (झाँसी)</u>

<u>दिनांक 24.11.2025</u>

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,**
- **डकैती के अभियोग में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **कब्जे से 35 लाख 08 हजार रुपए व चार पहिया कार (ग्रान्ट विटारा) बरामद,**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनाँक 24.11.2025 को थाना मोंठ पुलिस थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 250/2025 धारा 310(2) , 126(2), 308(4) , 115(2), 352, 351(3) बीएनएस में प्रकाश में आए वाँछित अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर थाना मोठ क्षेत्रान्तर्गत कुम्हरार पुल के हाईवे की सर्विस लाईन कानपुर-झाँसी से अभियुक्त अशोक गोस्वामी उम्र 55 वर्ष पुत्र प्रहलाद गोस्वामी नि0 म0नं0 1050 ताज कम्पाउण्ड नन्दनपुरा थाना सीपरी बाजार जनपद झाँसी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में लूट के 8,000/- रूपये व अभियुक्त के चार पहिया वाहन (UP93CH4950) से एक बैग में 35,00,000/- रूपये बरामद हुआ। चार पहिया वाहन (ग्रान्ड विटारा) (UP93CH4950) को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 317(3) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर अभियुक्त अशोक गोस्वामी उपरोक्त के विरुद्ध अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस टीमों द्वारा अभियुक्त के वाहन से बरामद 35 लाख नगदी के स्त्रोत के सम्बन्ध में गहनता से छानबीन की जा रही है।

<u>संक्षिप्त विवरणः-</u>

थाना मोठ क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 02.11.2025 को अभियुक्तगण 1. दीपनारायण यादव पुत्र बलभद्र यादव निवासी ग्राम बुढावली थाना मोठ जिला झाँसी 2. अनिल यादव उर्फ मामा और तीन-चार व्यक्ति नाम पता अज्ञात के द्वारा मुकदमा वादी को घेर कर असलाह तान देने, अभियुक्त दीपनारायण द्वारा वादी का कालर पकड़कर तीन-चार तमाचा मारने, गाली गलौज करते हुये गोली मारकर हत्या करने की धमकी देने तथा वादी की जेब से 32,000/-रुपये निकाल लेने व 20,00,000/- रुपये की और मांग करने के सम्बन्ध में मुकदमा वादी श्री प्रेम सिंह पालीवाल पुत्र श्री भंवर सिंह निवासी ग्राम भुजौंद थाना मोठ जिला झाँसी द्वारा दी गई प्रार्थना-पत्र के आधार पर दिनांक 20.11.2025 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 250/2025 धारा 310(2) , 126(2), 308(4) , 115(2), 352, 351(3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व लूटे गए रूपयों की बरामदगी हेतु पुलिस की कई टीमें गठित की गई। पुलिस टीमों द्वारा लगातार सार्थक प्रयास किए जा रहे थे।

जिसके क्रम में उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आए वाँछित अभियुक्त अशोक गोस्वामी उपरोक्त को पुलिस टीम द्वारा आज मुखबिर की सूचना पर चार पहिया वाहन ग्रान्ड विटारा (UP93CH4950) के साथ थाना मोठ क्षेत्रान्तर्गत कुम्हरार पुल के हाईवे की सर्विस लाईन कानपुर-झाँसी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में लूट के 8,000/- रूपये व अभियुक्त की वाहन (UP93CH4950) से एक बैग में 35,00,000/- लाख रूपये बरामद हुआ। चार पहिया वाहन ग्रान्ड विटारा को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के धारा 317(3) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्त अशोक गोस्वामी उपरोक्त के विरुद्ध अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है। बरामद 35 लाख नगदी के स्त्रोत के सम्बन्ध में गहनता से छानबीन की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता- अशोक गोस्वामी उम्र 55 वर्ष पुत्र प्रहलाद गोस्वामी नि0 म0नं0 1050 ताज कम्पाउण्ड नन्दनपुरा थाना सीपरी बाजार जनपद झाँसी

बरामदगी का विवरणः- 35,08,000/- रूपये व एक चार पहिया वाहन ग्रान्ड विटारा (UP93CH4950)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अखिलेश द्विवेदी, थाना मोठ, जनपद झाँसी
2. उ0नि0 अजय कुमार, थाना मोठ, जनपद झाँसी
3. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार, थाना मोठ, जनपद झाँसी
4. उ0नि0 रजनीकान्त, थाना मोठ, जनपद झाँसी
5. हे0का0 384 रणजीत सिंह, थाना मोठ, जनपद झाँसी
6. का0 834 देवेन्द्र कुमार, थाना मोठ, जनपद झाँसी